UPSH010101762023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज, (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), कोर्ट संख्या–02, शाहजहॉपुर।

परिवाद संख्या–160/2023

शिल्पी देवी बनाम रीना गुप्ता एवं अन्य।

दिनांक–09.08.2024

आज यह पत्रावली अभियुक्तगण को तलब किये जाने के सम्बन्ध में आदेश हेतु नियत है।

संक्षेप में परिवाद–पत्र के अनुसार परिवादिनी का कथन हैं कि वह दिनांक 21.10.2023 को फैक्ट्री स्टेट में रामलीला देखकर समय करीब 11:00 बजे रात्रि अपने घर आ रही थी, तभी इमली रोड पर सभी मुल्जिमानों ने उसको घेर लिया और जातिसूचक गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुये उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया तथा लात–घूसों व चप्पलों से मारापीटा। उसके द्वारा रीना गुप्ता व उसके पुत्र प्रियांशु के विरूद्ध कोर्ट में गवाही देने पर, सभी महिलायें उससे रंजिश मानती हैं। शोर–शराबे पर गजाला खॉ, कुलदीप व रोली आदि के आने पर उक्त सभी जान से मारने की धमकी देकर चले गयीं।

परिवादिनी की ओर से धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं अपना सशपथ साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पी0डब्लू0–1 अनुराधा एवं पी0डब्लू0–2 कुलदीप उर्फ वीर सिंह को परीक्षित कराया गया।

परिवादिनी ने अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में यह साक्ष्य दिया है कि ''21.10.2003 की घटना है। रात के 11 बजे की बात है। कैन्ट से मेला देखकर वापस जा रही थी, इमलिया चौराहे पर पहुॅची थी। रीना गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, कुसुम बाजपेयी व मालती मिली। मुझे मारे–पीटे, गन्दी–गन्दी गाली दिये। कहे चमरिया नेता बनती हो। कहे जान से मार देंगे। ...सामने सुनीता के घर के मकान में ये सब चोरी की थी। मैंने उन्हें बयान दिया था। इसी की रंजिश मानती थी। शोर पर बहुत लोग आये। रमन, रोली, गजाला खॉ आदि आये, बीच–बचाव किये, तब सभी धमकी देकर चले गये।..''

परिवादिनी की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 द्वारा परिवादिनी के कथन का समर्थन किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी के साथ गाली–गलौच व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करते हुये उसके साथ मारपीट की गयी तथा उसे जान से मारने की धमकी दी गयी।

अतः परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 व उसकी ओर से धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 तथा परिवाद–पत्र के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय इस का मत है कि विपक्षीगण **रीना गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, कुसुम बाजपेयी** एवं **मालती** के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा **323, 504, 506** भा0दं0सं0 व धारा **3(1)(r)** एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनता पाया जाता है। अतः विपक्षीगण **रीना गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, कुसुम बाजपेयी** एवं **मालती,** उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत परीक्षण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **रीना गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, कुसुम बाजपेयी** एवं **मालती** को धारा **323, 504, 506** भा0दं0सं0 व धारा **3(1)(r)** एस0सी0/एस0टी0 के अन्तर्गत परीक्षण हेतु जरिये सम्मन नियत तिथि के लिए तलब किया जाता है।

परिवादिनी सूची गवाहान प्रस्तुत करे एवं तलबाना/आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांकः 30.08.2024 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/
स्पेशल जज (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कोर्ट संख्या–02, शाहजहॉपुर।

Digitally signed by GARIMA SINGH
Date: 2024.08.14 10:05:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court